

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6) / के-2463 / 2013 / अलेसे-III / 262

दिनांक :- 16/05/2022

कार्यालय आदेश

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/3/2022/1523-25 दिनांक 07.05.2022 के अनुसार श्री कमल असीजा, (लिंग नं. 13004) कनि.लेखाकार कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ को परिवादी श्री बलदेव सिंह से रिश्वत राशि 15000/- रुपये लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 05.05.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। श्री असीजा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 170/2022 पंजीबद्ध करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री असीजा को इनकी गिरफ्तारी दिनांक 05.05.2022 से सेवा से निलम्बित किया जाता है। श्री असीजा को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री कमल असीजा कनि.लेखाकार का राज्य सेवा से निलम्बन अवधि में मुख्यालय कोषालय, बीकानेर किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री असीजा नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देंगे।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6) / के-2463 / 2013 / अलेसे-III / 262

दिनांक :- 16/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, बीकानेर।
3. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, हनुमानगढ़।
4. कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़।
8. पदस्थापन सीट / निजी / रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)